कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 984 / 12-1 देहरादून, दिनांक 23, सितम्बर, 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विश्व बैंक परियोजना ईकाई,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

विषयः– जनपद–देहरादून में विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल कार्यक्रम मेहूँवाला क्लस्टर पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.40 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु 30 वर्षों के लिए लीज पर पेयजल लाईन बिछाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1456/ भूमि(NOC) / 34 दिनांक 04.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि वन अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–571 / X-3-22/2(11)2023, दिनांक 04.05.2023 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में दिये गये समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–1432 / भूमि(NOC) / 33, दिनांक 25.08.2023 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 706 / 12–1, दिनांक 29.08. 2023 के द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की गयी है।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–941 / X–4–18 / 1–05(04) / 2014 वन एवं पर्यावरण अनुभाग– 04 देहरादून दिनांक–26.09.2018 द्वारा निर्गत शासनादेश के बिन्दु संख्या–3 मे यह स्पष्ट किया गया है कि **"भारत सरकार के शासनादेश संख्या–एफ0न0–11–306 / 2014–एफ0सी0 दिनांक–07 मई, 2015 मे प्राविधानित व्यवस्था / शर्तो के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत अपने क्षेत्रों की सीमा में रेखिक परियोजनाओं (Linear Projects) हेतु वन भूमि के हस्तान्तरण के जिन प्रस्तावों पर भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी हो व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश मे वर्णित शर्तों के अनुरूप क्षतिपूरक देयताओं का भुगतान तथा ट्रासफर और म्यूटेशन ऑफ नॉन–फॉरेस्ट / रवेन्यू फॉरेस्ट लैण्ड शर्तो का अनुपालन किया जा चुका हो, उन परियोजनाओं मे वनभूमि पर खड़े वृक्षों को पातित करने एवं प्रयोक्ता एजेन्सी को कार्य प्रारम्भ करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने के लिए अधोहस्ताक्षरित को अधिकृत किया जाता है।"**

वन क्षेत्राधिकारी, आसारोड़ी के पत्रांक 264 / 12, आसारोड़ी, दिनांक 16.09.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन भूमि 0.40 है0 हस्तान्तरण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसका **दिनांक 14.09.2023** को पेयजल निर्माण निगम के अधिकारी / कर्मचारियों के साथ वन भूमि चिन्हित कर सीमांकन कर दिया गया है व नियमानुसार आर0सी0सी0 पिलरों का कार्य प्रगति पर है। उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून ने अपने पत्रांक 534 / 12 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा अपनी आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

अतः उक्त परियोजना एक रेखिक परियोजनाओं (Linear Projects) है, तथा कार्यदायी संस्था द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः कार्यदायी संस्था के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से किये गये अनुरोध के क्रम में तथा विधिवत स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यदायी संस्था को **इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।**

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः– 984 (1)/12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक (गढवाल) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 सेल उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अपेक्षा से प्रेषित की इस आदेश को वन विभाग की वेबसाईट पर प्रसाति करने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

I. T. C. C.

C. C.

23.9.2023